

(E-961)

No.13007/1/2020-NGE-CGA/518
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
Controller General of Accounts
(HR-4 Section)

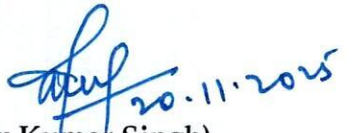
Mahalekha Niyantak Bhawan
GPO Complex, Block-E
INA New Delhi.
Email:- hr4section-cga@gov.in

Dated: 20th November, 2025

OFFICE MEMORANDUM

**Subject:-Notification of the Central Civil Accounts Service (Stenographer Grade-I)
Recruitment Rules, 2025 - reg.**

I am directed to state that the Central Civil Accounts Service (Stenographer Grade-I) Group 'B' Post, Recruitment Rules, 2025 have been published in "The Gazette of India: Extraordinary" bearing G.S.R 853(E) and came into force with effect from the date of publication of these Recruitment Rules i.e. on 18.11.2025. A copy of notification is circulated herewith for information to all stakeholders.


(Nirbhay Kumar Singh)
Senior Accounts Officer

Encl:As above.

To,

1. The Pr. CCAs/CCAs/CAs (with independent charge),
2. Director General (INGAF)/Joint CGA (Admin), O/o CGA/Jt. CGA (Admin), PFMS, O/o CGA/CC (Pensions)/CFC(Civil Aviation).
3. The ADG (Budget & Accounts), Prasar Bharati, M/o I&B.

Copy to:-

1. The U.S. (Ad.I), Department of Expenditure, Ministry of Finance for information.
2. The Sr.AO, ITD Section with request to upload on CGA's website.

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18112025-267781
CG-DL-E-18112025-267781

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 767]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 18, 2025/कार्तिक 27, 1947

No. 767]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 18, 2025/KARTIKA 27, 1947

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

(महालेखा नियंत्रक)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2025

सा.का.नि. 853(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय सिविल लेखा सेवा (आशुलिपिक ग्रेड-I) भर्ती नियम, 2001 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, केंद्रीय सिविल लेखा सेवा के आशुलिपिक ग्रेड-I के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय सिविल लेखा सेवा (आशुलिपिक ग्रेड-I), समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि - भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता - वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।
(1)	(2)	(3)	(4)
आशुलिपिक ग्रेड-I	83* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अनुसचिवीय, अराजपत्रित	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (₹35400-112400)

चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।
(5)	(6)	(7)	(8)
चयन पद।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(9)	(10)	(11)
प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	पचास प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा। पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	प्रोन्नति: आशुलिपिक ग्रेड-II जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (₹25500-81100) की श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो और जिन्होंने सरकारी लेखा और वित्त संस्थान द्वारा आयोजित नियम एवं प्रक्रिया, व्यवहार कौशल, प्रबंधन और व्यावसायिक कौशल में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय सरकार के अधीन आशुलिपिक काडर के अधिकारी,- (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ हो; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (₹25500-81100) या समतुल्य में नियमित आधार पर दस वर्ष की सेवा की हो। टिप्पण 1 - पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2 - प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित), जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

		टिप्पणी 3 - प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
--	--	--

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. संयुक्त महालेखा नियंत्रक - अध्यक्ष; 2. मुख्य लेखा नियंत्रक - सदस्य; 3. लेखा नियंत्रक - सदस्य। 4. विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. संयुक्त महालेखा नियंत्रक -अध्यक्ष; 2. मुख्य लेखा नियंत्रक - सदस्य; 3. लेखा नियंत्रक - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं हैं।

[फा. सं. एनजीई-13007/1/2020-एनजीई-सीजीए]

प्रवीण नंदवाना, संयुक्त महालेखा नियंत्रक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Expenditure)

(CONTROLLER GENERAL OF ACCOUNTS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 2025

G.S.R. 853(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Civil Accounts Service (Stenographer Grade-I) Recruitment Rules, 2001, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stenographer Grade-I in the Central Civil Accounts Service, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Central Civil Accounts Service (Stenographer Grade-I) Group 'B' Post, Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in pay matrix.— The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.- No person,-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex- Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
Stenographer Grade-I.	83*(2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Ministerial, Non-Gazetted.	Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400).

Whether Selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(5)	(6)	(7)	(8)
Selection post.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grade from which promotion or deputation/absorption to be made.
(9)	(10)	(11)
Two years for promotees.	Fifty per cent by deputation. Fifty per cent by promotion failing which by deputation.	Promotion: Stenographer Grade-II in level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100) with ten years regular service in the grade and having successfully completed two weeks training conducted by the Institute of Government Accounts and Finance in rules and procedures, behaviour skills, management and professional skills. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who

		have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers of the Stenographer cadre under the Central Government,- (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with ten years regular service in level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100) or equivalent. Note-1:The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note-2:The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note-3:The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.
--	--	--

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Joint Controller General of Accounts - Chairperson; 2. Chief Controller of Accounts - Member; 3. Controller of Accounts - Member; Departmental confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Joint Controller General of Accounts - Chairperson; 2. Chief Controller of Accounts - Member; 3. Controller of Accounts - Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. NGE-13007/1/2020-NGE-CGA]

PRAVEEN NANDWANA, Jt. Controller General of Accounts